

न्यायालय अपर समाहर्ता, रोहतास (सासाराम)

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं० - 54/2016

सरकार बनाम एतवारी पासी

आदेश

1/2

26.12.20

प्रस्तुत वाद जमाबंदी रद्दीकरण वाद भूमि सुधार उप समाहर्ता, बिकमगंज के पत्रांक 966, दिनांक 13.11.2014 से एतवारी पासी, पिता-शिवदेनी पासी, ग्राम+पो0+थाना - राजपुर अंचल - राजपुर जिला - रोहतास के नाम से कायम जामबंदी सं० - 21/24 I के रद्दीकरण हेतु प्रस्ताव के आलोक में प्रारंभ किया गया है, जिसमें वादगत भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

वादगत भूमि का विवरण

| अंचल का नाम | मौजा/थाना नं० | खाता सं० | खेसरा सं० | रकबा |
|-------------|---------------|----------|-----------|----------|
| राजपुर | राजपुर/07 | 933 | 3678 | 0.07 डी० |

भूमि सुधार उप समाहर्ता, बिकमगंज द्वारा प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत भूमि का रिजिजनल सर्वे खतियान अनाबाद बिहार सरकार के नाम से इन्द्राज है। अंचल अधिकारी राजपुर ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी एतवारी पासी, पिता-शिवदेनी पासी, ग्राम+पो0+थाना - राजपुर अंचल - राजपुर के नाम से कायम कर दिया है, जो कि विधिसम्मत नहीं है। अतः अंचल अधिकारी राजपुर के द्वारा कायम किए गए जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

किस्म जमीन अनाबाद बिहार सरकार है। वाद के विचारण के दौरान उभय पक्षों को नोटिश् निर्गत की गयी। द्वितीय पक्ष दिनांक 09.09.2019 को उपस्थित हुए, उसके उपरान्त लागातार अनुस्थित रहे तथा उनके द्वारा उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट है कि संबंधित विवादित जमाबंदीदार को प्रश्नगत जमाबंदी के सन्दर्भ अपना दावा के सर्म्थन में कोई साक्ष्य नहीं रखना है।

राज्य की ओर से सरकारी अधिवक्ता उपस्थित होकर राज्य का पक्ष रखा तथा अपना लिखित तर्क भी प्रस्तुत किया गया जिसमें उन्होंने वादगत भूमि का आर०एस० खतियान अनाबाद बिहार सरकार के नाम से कायम है तथा सक्षम प्राधिकार द्वारा लगान निर्धारण नहीं किये जाने के आधार पर प्रस्तुत जमाबंदी को रद्द करने का अनुरोध किया गया।

प्राप्त प्रस्ताव तथा सरकारी अधिवक्ता द्वारा दाखिल जवाब के अवलोकन तथा वाद के विचारण से निम्नवत तथ्य स्थापित होता है :-

- (1) बिहार काश्तकारी (संशोधन अधिनियम), 2017 के अधिनियम की धारा 158(सी) के अनुसार वैसी रैयती बेलगान/काबिल लगान भूमि का, जिसका लगान भू-सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यक्रम के संचालन के दौरान नियत नहीं किया गया हो, लगान नियत करने की शक्ति क्षेत्र के भूमि सुधार उप समाहर्ता/अनुमंडल पदाधिकारी में निहित होगी।
- (2), सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक नं० 4012/66-6308 एल० आर०, दिनांक 01.09.1966 के पत्रानुसार लगान निर्धारण की शक्ति अनुमंडल पदाधिकारी /भूमि सुधार उप समाहर्ता में निहित किया गया। उक्त आदेश के पूर्व लगान निर्धारण अंचल अधिकारी द्वारा किया जाता था।

उक्त जमाबंदी रद्दीकरण वाद में इस न्यायालय द्वारा लगान निर्धारण अभिलेख के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिसमें अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि तत्कालिन राजस्व कर्मचारी मो० नैसार अहमद द्वारा लगान निर्धारण वाद सं० 04/2010-11 अंकित कर जमाबंदी सं० 3616/21 कायम किया गया है तथा जमाबंदी पंजी पर तत्कालीन प्रभारी अंचल निरिक्षक एवं राजस्व कर्मचारी श्री नैसार अहमद का हस्ताक्षर है, एवं यह टिप्पणी अंकित है कि जमाबंदी

26/12/20

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं० - 54/2014 2/2


रद्दीकरण हेतु अपर समाहर्ता के यहाँ भेजा गया है। लगान रसीद बंद रहेगा। परन्तु उक्त लगान निर्धारण वाद का कोई साक्ष्य अंचल कार्यालय राजपुर में उपलब्ध नहीं है। केवल एक साधारण पंजी संधारित है। जिसमें जमाबंदी का जिक्र किया गया है। परन्तु उस पंजी में किसी का हस्ताक्षर अंकित नहीं है।

उपर्युक्त विवेचनाओं के आधार पर स्पष्ट है कि तत्कालीन पदाधिकारी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उक्त जमाबंदी संधारित किया गया है, जो राजस्व विभागीय नियमावलियों के प्रतिकूल है। अतएव अंचल अधिकारी, राजपुर के जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं० 48/2014-15 से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में वादगत भूमि मौजा-राजपुर, धाना सं०-07, खाता सं० - 933, खेसरा सं० - 3678 क्रमशः रकबा - 0.07 ए० की जमाबंदी एतवारी पासी, पिता-शिवदेनी पासी, ग्राम+पो0+धाना - राजपुर के नाम से कायम है, का जमाबंदी सं० - 21/24 I को बिहार दाखिल खारिज अधिनियम 2011 के section - 9 में प्रदत्त शक्तियों के तहत जमाबंदी रद्द किया जाता है।

भूमि सुधार उप समाहर्ता, बिक्रमगंज को निदेश दिया जाता है कि उक्त वाद में संलिप्त दोषी पदाधिकारी/राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव जिला पदाधिकारी रोहतास, सासाराम को भेजना सुनिश्चित करें।

आदेश से सभी संबंधित को अवगत करावें।


लेखापित एवं संशोधित।


अपर समाहर्ता,
रोहतास (सासाराम)।


अपर समाहर्ता,
रोहतास (सासाराम)।

प्रतिलिपि - जापान - 200/2014, दिनांक - 21/12/20
अंचल अधिकारी राजपुर / भूमि सुधार उप
समाहर्ता, बिक्रमगंज / सहायता उप समाहर्ता, रोहतास
सासाराम को सूचना एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - जिला सूसा एवं विज्ञान पदा (NAC) को सूचना
जिले के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
प्रेषित।


अपर समाहर्ता,
रोहतास, सासाराम।